

अन्य संबंधित मामले

<p>एएसबीए प्रक्रिया</p>	<p>घरेलू फुटकर निवेशकों के लिए भुगतान की एक वैकल्पिक पद्धति के रूप में 30 जुलाई, 2008 को लागू की गई एएसबीए प्रक्रिया का 2009 में विस्तार करके इसे अहर्ताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय निकायों को छोड़कर बोलीदाताओं की सभी श्रेणियों के लागू किया गया था।</p>
<p>तीव्र निर्गम</p>	<p>राइट्स इश्यू के लिए अगस्त, 2000 में लागू किए गए तीव्र निर्गम का 2009 में विस्तार करके इसे पात्र निर्गमकर्ताओं द्वारा अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकशों के लिए भी लागू कर दिया गया था। आईसीडीआर विनियमों के अधीन पात्रता अपेक्षाओं को भी स्पष्ट किया गया था ताकि ऐसे निर्गमकर्ताओं को सुविधा हो सके। पात्रता अपेक्षाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयर ऐसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हों, जिसके पिछले कम से कम 3 वर्षों में देश भर में ट्रेडिंग टर्मिनल रहे; • निर्गमकर्ता की सार्वजनिक शेयरधारिता का औसत बाजार पूंजीकरण न्यूनतम 5,000 करोड़ रुपए हो; और • संदर्भित तारीख के महीने से तुरंत 6 कैलेण्डर माह के दौरान निर्गमकर्ता के इक्विटी शेयरों का वार्षिक ट्रेडिंग टर्नओवर उन 6 माह की अवधि के दौरान सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की भारी औसत संख्या के कम से कम 2% रहा हो। <p>तीव्र निर्गम के लाभ में कम और सुचारू प्रकटीकरण शामिल हैं, आईसीडीआर विनियमों के अनुसार वित्तीय विवरणों का संबंध स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। सेबी के पास ड्राफ्ट पेशकश मसौदा दायर करने की आवश्यकता नहीं है और निर्गम के लिए समग्र समय में अनुवर्ती कटौती भी शामिल है (नीचे और चर्चा की गई है)।</p>
<p>नीलामी पद्धति/बुक बिल्डिंग की वैकल्पिक पद्धति</p>	<p>आईसीडीआर विनियमों में 2009 में बुक बिल्डिंग की एक वैकल्पिक पद्धति शामिल की गई है, जो निर्गम के खुलने से पहले मूल्य दायरे की बजाय न्यूनतम मूल्य के प्रकटीकरण पर आधारित है। अहर्ताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय निकाय रूपी बोलीदाताओं के पास बोलियों को बढ़ाने और कम करने का विकल्प होता है परंतु निर्गम के बंद होने के बाद उनको अपनी बोलियां वापस लेने की अनुमति नहीं है। इस पद्धति के अधीन निर्गमकर्ता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर शेयरों की पेशकश कर सकता है</p>

	<p>बशर्ते न्यूनतम मूल्य और उस मूल्य, जिसपर कर्मचारियों को विशिष्ट प्रतिभूतियों की पेशकश की गई हों, के बीच अंतर न्यूनतम मूल्य के 10% से अधिक न हो। इसके अलावा, आबंटन अहर्ताप्राप्त अंतरराष्ट्रीय निकायों को मूल्य प्राथमिकता आधार पर और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों, गैर-संस्थागत निवेशकों और कर्मचारियों को न्यूनतम मूल्य पर किया जाएगा।</p>
अंतर्रीय मूल्य निर्धारण	<p>कोई निर्गमकर्ता विशिष्ट प्रतिभूतियों की पेशकश भिन्न-भिन्न मूल्यों पर कर सकता है: उपरोक्त के अलावा कर्मचारी आकर्षण, छूट पर शेयरों की पेशकश और एंकर निवेशक भी देखें।</p>
कर्मचारी आरक्षण	<p>कर्मचारी आरक्षण को निर्गम के आकार के 10% (डीआईपी दिशा-निर्देशों के अधीन) की बजाय अब निर्गम-पश्चात पूंजी की 5% तक सीमित कर दिया गया है; कर्मचारी आरक्षण के अधीन कर्मचारी के लिए आबंटन का आकार और आबंटन के मूल्य को एक लाख रुपए पर सीमित कर दिया गया है।</p>
छूट पर शेयरों का पेशकश	<p>आरक्षित भाग में कर्मचारियों के लिए फूटकर छूट को एक लाख के आवेदन आकार तक सीमित कर दिया गया है।</p>
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम की अधिसूचना का अननुपालन	<p>ऊपर चर्चित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम की अधिसूचना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा सार्वजनिक निर्गम में कर्मचारियों द्वारा बोली के तकनीकी अस्वीकरण का आधार बनता है।</p>
खरीद-फरोख्त पर रोक	<p>आईसीडीआर विनियमों में यह अपेक्षित है कि निर्गमकर्ता के प्रवर्तक कुल निर्गम-पश्चात प्रदत्त शेयर पूंजी के 20% पूंजी की खरीद-फरोख्त पर निर्गम में आबंटन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए रोक लगा दें। उपरोक्त अनुसार 3 वर्ष के लिए शेयरों के खरीद-फरोख्त पर रोक के अलावा निर्गमकर्ता की शेष निर्गम-पूर्व शेयर पूंजी की खरीद-फरोख्त पर एक वर्ष की अवधि के लिए रोक लगा दी जाए।</p> <p>न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान और खरीद-फरोख्त पर रोक की शर्त उस अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश पर लागू नहीं होती जहां अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश में आबंटित किए जाने वाले प्रस्तावित उसी श्रेणी के शेयर सूचीबद्ध हों और पिछले कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में उनकी बारम्बार खरीद-फरोख्त न हुई हो और निर्गमकर्ता पिछले कम से कम तीन वर्षों में लाभांश का भुगतान करता रहा हो।</p>
एंकर निवेशक	<p>आईसीडीआर विनियमों में वर्ष 2009 में एंकर निवेशकों की अवधारणा आरंभ की गई थी।</p>

	<p>इसका मतलब है, किसी बुक बिल्डिंग सार्वजनिक निर्गम में न्यूनतम दस करोड़ रुपए के मूल्य के शेयरों के लिए आवेदन करने वाले अहर्ताप्राप्त अंतरर्रष्ट्रीय निकायों को निर्गम मूल्य के समान या उससे अधिक मूल्य पर 30% तक का विवेकाधीन आबंटन। यह विकल्प तय मूल्य के निर्गम में उपलब्ध नहीं है।</p>
<p>आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पूर्व आबंटन/हस्तांतरण</p>	<p>आईसीडीआर विनियमों के अधीन पूंजी संरचना को ड्राफ्ट रेडहेरिंग प्रोस्पॉक्टस चरण पर जाम कर देना चाहिए और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पूर्व किसी प्रस्तावित आबंटन/हस्तांतरण का ब्यौरा प्रकट करना अनिवार्य है।</p> <p>ओआईएल की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में डीआईपी के दिशा-निर्देशों के अधीन आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से पूर्व हस्तांतरण हुआ था।</p>
<p>आईएफआरएस का अनुपालन</p>	<p>भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) को अपनाने और उसके साथ समरूपता बनाने की रूपरेखा घोषित की है, जिसके अनुसरण में भारत की सभी सरकारी कंपनियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे 01 अप्रैल, 2011 से आरंभ होने वाली वित्तीय अवधि से अपने वार्षिक और अंतरिम वित्तीय विवरण आईएफआरएस के अधीन तैयार करें।</p>
<p>लेखापरीक्षकों के समान समीक्षा</p>	<p>02 अप्रैल, 2010 से पेशकश दस्तावेज में सम्मिलित निर्गमकर्ता के वित्तीय विवरणों को, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के समकक्ष समीक्षा बोर्ड द्वारा जारी वैध समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र धारक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है। जहां वित्तीय विवरण वैध समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र धारण न करने वाले किसी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किए हो, वहां ऐसे सभी वित्तीय विवरण एक पूरे वित्त वर्ष और वर्ष के किसी अवधि के लिए किसी अन्य ऐसे लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित किया जाना अपेक्षित है जिसके पास वैध समकक्ष समीक्षा प्रमाण पत्र हो।</p>
<p>मॉनीटरिंग एजेंसी</p>	<p>500 करोड़ रुपए से अधिक के निर्गमों के मामले में प्राप्त धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए एक मॉनीटरिंग एजेंसी की नियुक्ति करना अनिवार्य है।</p>
<p>विशेषज्ञों की रिपोर्टें</p>	<p>पेशकश दस्तावेज में विशेषकर विशेषताप्राप्त औद्योगिक परामर्शदाताओं की विशेषज्ञ रिपोर्टें शामिल होती हैं (जैसेकि तेल तथा गैस या खान तथा खनिजों के भंडार के संबंध में रिपोर्टें, जो इस बात पर निर्भर करता है कि निर्गमकर्ता किस क्षेत्र में संचालन करता है)।</p>